उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488

पत्रांकः ई0 7392 /12–5/कार्य आवंटन दिनांकः 15 मार्च 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–3 की पत्र संख्या – 492/X–3–16–08(25)/ 2001 टी0सी0 दिनांक 24.08.2016 द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम का संरचनात्मक पुनर्गठित ढाँचे में प्रतिनियुक्ति पर महाप्रबन्धक के कुल 03 पद स्वीकृत होने से महाप्रबन्धक का एक अतिरिक्त पद सृजित हुआ है। इस प्रकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम में नव–सृजित महाप्रबन्धक द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम में शिविर कार्यालय, महाप्रबन्धक (विविधीकरण) के रूप में कार्य किया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–3 की पत्र सं0–223/X–1–2017–04(05)/2014दि0 23–02–2017 एवं 562/X–1–2017–04(05)/2014 दि0 10 मार्च 2017 से भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री जन्मेजय सिंह, मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की तैनाती प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम में महाप्रबन्धक के पद पर की गयी है। अतः वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए श्री जन्मेजय सिंह, मुख्य वन संरक्षक की तैनाती उत्तराखण्ड वन विकास निगम में महाप्रबन्धक (विविधीकरण) के पद पर की जाती है। महाप्रबन्धक (विविधीकरण) द्वारा खनन, कोर्ट केस (खनन से सम्बन्धी), ईको–टूरिज्म, जड़ी–बूटी, ई–रवन्ना सम्बन्धी निम्न कार्य सम्पादित किए जाएगें। इस हेतु इन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा :–

1. उप–खनिज चुगान हेतु जिन नदियों में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, उनकी शर्तों का अनुपालन एवं अनुश्रवण नियमानुसार किया जाना व माह के प्रथम सप्ताह में सारांश के रूप में प्रबन्ध निदेशक के समक्ष अवलोनार्थ प्रस्तुत करना।

2. विभिन्न नदियों में मदवार लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन तथा जो धनराशि क्रेताओं द्वारा प्राप्त की जा रही है उसका अनुश्रवण किया जाना।

3. वन विभाग को क्रेताओं से प्राप्त की जा रही धनराशि को नियमानुसार औद्योगिक विकास विभाग व वन विभाग को कॉर्पस फण्ड के रूप में भारत सरकार के नियमों/विनियमों के अनुरूप दिया जाना सुनिश्चित कराएगें।

4. मुख्यालय स्थित खनन सम्बन्धित आई0ओ0 सेल महाप्रबन्धक (विविधीकरण) नियंत्रणाधीन कार्य करेगा व किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आने पर आई0ओ0 सेल प्रभारी को आवश्यक परामर्श देते हुए आई0ओ0 सेल का सुचारू रूप से संचालन कराएगें।

5. उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित ई–रवन्ना की प्रक्रिया सुनिश्चित कराना व एन0आई0सी0 व खनन विभाग के साथ सामंजस्य व सम्पर्क करना।

6. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किए जा रहे चुगान, ईको–टूरिज्म तथा जड़ी–बूटी के सम्बन्ध में विधान सभा, लोकसभा व राज्यसभा के प्रश्नों के उत्तर का आलेख तैयार कर प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत करना।

7. भारत सरकार, राज्य सरकार, शासन व वन विभाग स्तर पर आयोजित बैठकों में वांछित सुचनाओं सहित प्रतिभाग करना व बैठक में हुई कार्यवाही से प्रबन्ध निदेशक को अवगत कराना।

क्रमशः 2

8. विभिन्न चुगान सम्बन्धित पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्थापित Environment cell की अध्यक्षता करना तथा समय-समय पर बैठक आहूत कर अनुश्रवण करना।

9. नदियों के चुगान सम्बन्धी एफ0सी0 व ई0सी0 हेतु भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय व दिल्ली स्थित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय स्तर पर आयोजित बैठकों में व उत्तराखण्ड वन विकास निगम की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

10. विभिन्न नदियों से उप-खनिज चुगान हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

11. विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केस (खनन से सम्बन्धित) के प्रकरणों की समीक्षा करना तथा कोर्ट केस से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कराया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त ईको-टूरिज्म, जड़ी-बूटी, एन0टी0एफ0पी0 से सम्बन्धित समस्त कार्यो का सम्पादन करना तथा समय-समय पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिए गए कार्यों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 7392 / / **दिनांकित**

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबन्धक (उत्पादन/कुमाऊँ मण्डल), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
2. श्री जन्मेजय सिंह, महाप्रबन्धक (विविधीकरण), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. समस्त प्रभागीय प्रबन्धक (लौगिंग, खनन, विपणन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
5. प्रभागीय प्रबन्धक (नियोजन/विपणन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक, लेखा सम्परीक्षाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी/वैयक्तिक अधिकारी (मुख्यालय), उ0व0वि0नि0, देहरादून।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक